मुकेश सहनी
मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

विश्व पशु कल्याण दिवस

4 अक्टूबर, 2021

पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

विश्व पशु कल्याण दिवस एक अन्तर्राष्ट्रीय दिवस है जो प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन असीसी के सेंटफ्रांसिस का जन्म दिवस भी है जो जानवरों के महान संरक्षक थे।

**''पशु पक्षियों को अत्याचार से बचाना है।
यही है मानव धर्म जो हमें निभाना है।।''**

विश्व पशु कल्याण दिवस का उद्देश्य

- पशु कल्याण मानकों में सुधार करने हेतु व्यक्तियों, समूहों और संगठनों का समर्थन प्राप्त करना।
- जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके।
- जानवरों के प्रति प्रकट किये जाने वाले घृणास्पद व्यवहार, आवारा कुत्तों और बिल्लियों के प्रति व्यवहार, उनका अमानवीय व्यापार आदि के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- प्राकृतिक आपदा के समय जानवरों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार को कम करना। उनकी सुरक्षा के प्रति लापरवाही को कम करना।

विश्व पशु कल्याण दिवस का समारोह

- जानवर हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, इस हेतु इस दिवस को ढ़ेर सारे दिवसों के रूप में इसे मनाते हैं जैसे– विश्व पशु कल्याण अभियान, पशुओं के लिए बचाव आश्रयों का उद्घाटन, फंड जुटाने से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन आदि।
- स्कूल और कॉलेजों में भी वन्य जीवों से जुड़ी ढ़ेर सारी जानकारियों को टी.वी. और कम्प्युटर के माध्यम से साझा किया जाता है।

पशु कल्याण के लिए कानून

पशु कल्याण के लिए अनेक कानून एवं अधिनियमों की व्यवस्था की गई है जो मुख्यत : इस प्रकार हैं :

- भारत में पशुओं की सुरक्षा के लिए ''जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1966'' लाया गया।
- ब्रिटिश सरकार की एनिमल वेलफेयर एडवाइजरी समिति ने सर्वप्रथम जानवरों को सोने और खड़े होने की स्वतंत्रता की सिफारिश की। साथ ही उन्हें घुमाने और विचरण करने की भी स्वतंत्रता की अनुशंसा की।
- संयुक्त राष्ट्र ने अपने सार्वभौम घोषणा में पशुओं के दर्द और पीड़ा के सन्दर्भ में उन्हें संवेदनशील प्राणी के रूप में पहचान देने की बात की। इसके पश्चात् उसने यह भी कहा कि जानवरों के सन्दर्भ में किये जाने वाले सभी कल्याणकारी कार्य समाज सेवा के रूप में है। इसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी फैलाया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए।

पशु कल्याण दिवस के अवसर पर लिये जाने वाले संकल्प

- सभी प्राणियों के प्रति करूणा/सहानुभूति रखने का।
- गर्भवती एवं बीमार पशु का वध नहीं करने का।
- पशुओं को पर्याप्त भोजन, पानी, स्थान, व्यायाम आदि से वंचित नहीं करने का।
- आवश्यकता से कम जगह पर अत्यधिक पशुओं को बांधकर नहीं रखने का।
- आवश्यकता से अधिक बोझ ढुलाई नहीं करने का।
- पशुओं/पक्षियों को जबरन आपस में नहीं लड़ाने का आदि।

पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित